

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 11/2008

सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सोन्या पुत्र गंगाराम, जाति-बैरवा, निवासी-ग्राम रूपाहेड़ी कलां, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।
1/1 बंद्रीलाल पुत्र रामनारायण दत्तक पुत्र सोन्या, जाति-बैरवा, निवासी-टी 757, फेज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005।

अप्रार्थी

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :-

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 29.11.2017

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004-2023 में ग्राम रूपाहेड़ीकलां की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकिन नला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 201 रकबा 36 बीघा 06 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकीन नला दर्ज है, इस आराजी में से सोन्या पुत्र गंगाराम को रकबा 03 बीघा आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 211 सोन्या को गैर-खातेदारी दी गई हैं जिसके हाल खसरा नम्बर 419, 420 कुल किता 02 रकबा 0.76 जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में बतौर खातेदार सोन्या के नाम दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2004-2023 में दर्ज गैर-मुमकीन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।



(Signature)

विद्वान राजकीय अधिवक्ता श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004-2023 में ग्राम रूपाहेडीकलां की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकिन नला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 201 रकबा 36 बीघा 06 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकीन नला दर्ज है, इस आराजी में से सोन्या पुत्र गंगाराम को रकबा 03 बीघा आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 211 सोन्या को गैर-खातेदारी दी गई हैं जिसके हाल खसरा नम्बर 419, 420 कुल किता 02 रकबा 0.76 जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में बतौर खातेदार सोन्या के नाम दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2004-2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी गैर-मुमकीन नला की नियमों के विपरीत खातेदारी दी जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी सोन्या के नाम खातेदारी दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004-2023 में यह आराजी गैर-मुमकीन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन नला भूमि का आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटि के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शुन्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबन्ध में समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता



(Signature)

हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी की फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वारिसान को तलब किया गया। आवंटी/खातेदार के जायज वारिस बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे अतः अनुपस्थिति की दशा में इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004-2023 ग्राम रूपाहेडीकलां की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकिन नला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 201 रकबा 36 बीघा 06 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकीन नला दर्ज है, इस आराजी में से सोन्या पुत्र गंगाराम को रकबा 03 बीघा आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 211 सोन्या को गैर-खातेदारी दी गई हैं जिसके हाल खसरा नम्बर 419, 420 कुल किता 02 रकबा 0.76 जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में बतौर खातेदार सोन्या के नाम दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2004-2023 में दर्ज गैर-मुमकीन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन/खातेदारी दिनांक को राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकीन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2004-2023 से होती है और इस आराजी के खातेदारी के फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी सोन्या के नाम दर्ज है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी 2061-2064 से होती है।

विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 में निजी खातेदारी दर्ज है राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर-मुमकीन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नहीं दी



(Signature)

जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन नला भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात् की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर-मुमकीन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नहीं दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि आवंटनी तथा आवंटनी के पश्चात् अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खातेदारी को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटनी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं इसके पश्चात् अन्य व्यक्तियों के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर-मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 29.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.11.2017 को सुनाया गया।



(Signature)
 (सुनील भाटी)
 जिला अधिकारी (द्वितीय)
 जयपुर